न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 19/2019

मधु पुत्री श्री रामलाल पूर्व प्रशिक्षु पटवारी टोंक प्लाट नं0 4, वसुन्दधरा कॉलोनी टोंक रोड जयपुर राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक जिला-टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 3-7-2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक को दिनांक 1-3-2019 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें निम्न दो बिन्दुओं की सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपील प्रस्तुत की गई :-

1-मेरे बेज(पटवार परीक्षा 2015) को PTS व APRTS में जो प्रशिक्षु पटवारी पूरी ट्रेनिंग किये बिना अन्य विभागों में नोकरी लग जाने के कारण त्याग पत्र देकर/रिलिव होकर गये हें, मेरे अलावा अन्य प्रशिक्षु पटवारियों से बॉण्ड की बकाया राशि की वसूली हेतु आपके द्वारा जारी किये गये समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियॉ।

2-श्रीमान आपका ध्यान आपके द्वारा जो आदेश क्रमांक 5655-61 दिनांक 5-10-2018, आदेश क्रमांक 899 दिनांक 13-2-2019, एंव आदेश क्रमांक 2813 दिनांक 8-5-19 द्वारा बॉण्ड की शेष राशि वसूलने हेतु मुझे जो जारी किये गये हैं उनकी छाया प्रतियॉ पताका अ ब एंव स पर अवलोकन हेतु प्रेषित कर रही हूँ। जेसे मुझे उपरोक्त आपके द्वारा आदेश दिये गये हैं वेसे ही आदेशों की प्रतियॉ (पटवार परीक्षा 2015) के PTS व APRTS के प्रशिक्षु पटवारियों से जो अन्य विभागों में नोकरी लग जाने के कारण त्याग पत्र देकर/रिलिव होकर गये हें। उनसे बॉण्ड की बकाया शेष राशि वसूलने के समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 493 दिनांक 17-6-2019 से जवाब तलब किया गया। प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 3976 दिनांक 2-7-2019 से अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना भिजवा दी गई है, इसके अतिरिक्त

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सूचना कार्यालय हाजा द्वारा में उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में आवेदक को भी पत्र की प्रति के साथ 22 पत्र संलग्न करते हुए सूचित किया जा चुका है। चूँकि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवा दिया गया है तथा एक प्रति न्यायालय हाजा में दिये गये जवाब की भी प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner